महत्वपूर्ण एवं खास

विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पति पर उत्पीड़न का अपराध दर्ज

रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ के मर्ग क्रमांक 43/2020 धारा 174 सीआरपीसी की जांच में पाया गया कि ग्राम अमलीडीह थाना घरघोड़ा में रहने वाली अमरीका राठिया (उम्र 22 साल) की शादी नरेश राठिया पिता साधराम राठिया निवासी ग्राम ओंगना थाना धरमजयगढ़ के साथ वर्ष 2018 में सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद नरेश राठिया का किसी अन्य महिला से रिस्ते को लेकर दोनों में झगड़ा विवाद होता था। इसी विवाद एवं पति के प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 10/05/2020 को अमरीका बाई घर के म्यार में अपने साड़ी से फांसी लगा कर फौत हो गई। मर्ग जांच में मृतिका के वारिशानों का कथन लेखबद्ध कर पति के आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने से अमरीका राठिया द्वारा ऐसा कदम उठाना पाये जाने पर आरोपी नवीन राठिया के विरूद्ध धारा 306 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जुर्म दर्ज

रायगढ़। 17 मई को थाना कोतवाली में महिला द्वारा नवीन पटेल निवासी धनगांव थाना पुसौर के विरूद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीडिता बताई कि अपने मायके में रह रही है। धनगांव का नवीन पटेल ढिमरापुर काम करने आता था, जिससे काम करने के दौरान परिचय हुआ। माह फरवरी 2019 में ढिमरापुर दिनदयाल कालोनी कचरा गोदाम के पास नवीन ने बल पूर्वक शारीरिक संबंध बनाया जिसे थाना में रिपोर्ट करूंगी बोली कहने पर शादी करूंगा बोला। नवीन उसके बाद कई बार शादी का प्रलोभन देकर संबंध बनाया। दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था, फिर सुलह हो जाता था। इस सप्ताह 13 मई 2021 को झगड़ा के बाद नवीन नही रखूंगा, तुमको नहीं पहचानता कहकर संपर्क ही छोड दिया, काफी समझाने पर नहीं माना, बताई। पीडिता के लिखित आवेदन पर थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

नवनिर्मित बीटी सड़क निर्माण की होगी जांच-कलेक्टर सिंह

रायगढ़ । शहर में नवनिर्मित बीटी.सड़कों के निर्माण में कमजोर गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि निर्माण कार्यों की जांच की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। अच्छी गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में इतनी जल्दी सड़कों के खराब होने की बात अगर सामने आ रही है तो इसकी जांच की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सड़क निर्माण में लापरवाही को लेकर सभापति नगर निगम जयंत ठेठवार ने कलेक्टर भीम सिंह को पत्र-प्रेषित करते हुये सड़कों के निर्माण कार्य में कमजोर गुणवत्ता व स्वीकृत प्राक्कलन के मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं कराए जाने की बात का उल्लेख कर सड़क निर्माण की जांच कराये जाने के संबंध में मांग की थी। कलेक्टर भीम सिंह ने पत्र को संज्ञान में लेते हुये सड़क निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने की बात कही।

रायगढ़ न्यायालय में निर्धारित नियत पेशी की तिथि में परिवर्तन

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु 31 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक रायगढ़ जिले के संपूर्ण सीमाक्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर रायगढ़ ने सर्व पक्षकारगण/अधिवक्तागण को सूचित किया है कि कलेक्टर रायगढ़ के न्यायालय में नियत समस्त प्रकरणों (आदेश हेतु नियत प्रकरणों को छोड़कर)की सुनवाई हेतु आगामी तिथि निर्धारित की गई है। जिसमें 17 मई 2021 को नियत पेशी आगामी 5 जुलाई 2021 की गई है। इसी तरह 24 मई 2021 को नियत पेशी 12 जुलाई 2021 एवं 31 मई 2021 को नियत पेशी 19 जुलाई 2021 को नियत की गई है।

1970 की तिथि में अपॉइंटमेंट बुक होने के समाचार से सम्बन्धित समस्या का समाधान किया चिप्स ने

रायपुर (आरएनएस)। उक्त सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि हितग्राही द्वारा पंजीयन करते समय उपयोग किये जा रहे सिस्टम/मोबाइल का सम्पर्क सबमिट करते समय प्रभावित होने के कारण हितग्राही के कुछ विवरण जैसे- पता, टीकाकरण का स्थान, तिथि आदि सर्वर में दर्ज नही हो पाया और सर्वर कलेंडर का डिफाल्ट डेट 1970 के साथ स्लिप जनरेट हो गया। चिप्स की डेवलपमेंट टीम द्वारा उक्त समस्या का समाधान कर लिया गया है।

क्वारेन्टीन सेंटर्स के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर भीम सिंह

» सेंटर्स में निवासरत लोगों से चर्चा कर लिया फीडबैक

» अधिकारियों को सेंटर्स में जरूरी व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग के दिये निर्देश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज शहर के शासकीय व पेड क्वारेन्टीन सेंटर्स का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने क्वारेन्टीन किये गए लोगों से बात-चीत कर उनका फीडबैक लिया तथा उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने सेंटर के नोडल अधिकारियों के साथ विभागीय अधिकारियों को सेंटर्स में लोगों को तमाम जरूरी व्यवस्थाएं मुहैय्या होती रहे यह सुनिश्चित करने तथा इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह सबसे पहले जिला पंचायत के पास आदिवासी विकास विभाग के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में बने क्वारेन्टीन सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने रह रहे लोगों से उनको मिल रहे खाने पीने, साफ-सफाई व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सेंटर व शौचालय की साफ-सफाई के बारे में पूछा। लोगों ने खाने की व्यवस्था को अच्छा बताया तथा नियमित साफ -सफाई होने की बात भी कही। कलेक्टर सिंह ने सेंटर में पीने के पानी के लिए आरओ लगाने के निर्देश नोडल अधिकारी को दिए। उन्होंने निवासरत लोगों से उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सेंटर में सभी को आपस में डिस्टेंस बनाकर रहना है। हमेशा मास्क लगाकर रखना है। किसी भी प्रकार के लक्षण आने पर तत्काल नोडल अधिकारी को सूचित करें। जिससे कि तत्काल टेस्टिंग की जा सके।

कलेक्टर सिंह इसके बाद कर्मचारी पुत्री छात्रावास में बनाये गए क्वारेन्टीन सेंटर पहुंचे। यहां भी उन्होंने निवासरत लोगों से बात की। उनके भोजन, पानी व सेंटर में मुहैय्या करायी जा रही अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। रहने वालों में से कुछ लोगों ने भोजन में चावल के स्थान पर रोटी की मांग की। कलेक्टर सिंह ने लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें भोजन प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने सभी क्वारेन्टीन सेंटर्स की नियमित साफ -सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लोगों से कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने की बात कही।

इसके पश्चात कलेक्टर सिंह ने शहर के होटल साकेत और होटल तारा का निरीक्षण किया जहां पेड क्वारेन्टीन सेंटर संचालित हैं। यहां उन्होंने प्रबंधकों से उनके यहां रुके हुए लोगों के बारे में जानकारी ली। उनके भोजन आदि के प्रबंध के बारे में भी जाना। कलेक्टर सिंह ने सभी संचालकों को क्वारेन्टीन गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रुके हुए लोगों द्वारा मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नॉर्म्स का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। किसी में यदि लक्षण दिखते हैं तो तत्काल इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को दी जाए।

इस दौरान नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, एसडीएम युगल किशोर उर्वशा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अविनाश श्रीवास, ईई हाउसिंग बोर्ड शर्मा सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

❒ **जतन टीकाकरण केन्द्र का भी किया निरीक्षण-** इस दौरान कलेक्टर सिंह ने जतन परिसर स्थित टीकाकरण केन्द्र का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने शेड्यूल के अनुसार टीकाकरण की जानकारी ली। बताया गया कि इस सेंटर में 45 प्लस के नागरिकों को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने टीकाकरण रजिस्टर का अवलोकन किया। सेंटर इंचार्ज को टीकाकरण के लिए आये हितग्राहियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के निर्देश दिए।

ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को लेकर रहें सतर्क, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

रायगढ़ । स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस के बारे में एडवाइजरी जारी कर इसके लक्षण व सावधानियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिसके अनुसार कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानि म्यूकरमाइकोसिस जैसे लक्षण पाये जा रहे है। ये लक्षण कोमॉर्बिड मरीजो व प्रायः डायबिटिज मरीज में पाया जाता है। पोस्ट कोविड मरीजों में भी यह लक्षण दिखाई देता है क्योंकि कोविड के दौरान उन्हें स्टेरॉयड दवा दी जाती है उनके शरीर में स्टेरॉयड की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लैक फंगस की संभावना बढ़ जाती है। कोविड-19 संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस चेहरे, नाक, साइनस आंख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है।

क्या है लक्षण-चेहरे में एक तरफ दर्द हो सूजन हो या सुन्न हो (छूने पर छूने का अहसास न हो), दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे चबाने में दर्द हो, उल्टी में या खाँसने पर बलगम में खून आयें, त्वचा/आंख में काले धब्बे दिखाई देना, आंखो में कम दिखाई देना, आंखो का लाल होना, ऊपर का तालू काला होना, जीभ का काला होना, नाक में तेज दर्द होना ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं।

क्या करें-इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में या किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखायेंए नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, आई स्पेशलिस्ट, मेडिसीन या चेस्ट विशेषज्ञ में से किसी डॉक्टर को तुरंत दिखाकर इलाज शुरू करें।

रखें ये सावधानियां-किसी के कहने पर या स्वयं से दवा का सेवन न करें, बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा सेवन न करें। संतुलित व प्रोटीन युक्त आहार लें। अधिक मात्रा में पानी व तरल आहार लें। गर्म व ताजा भोजन का सेवन करें।

नाबालिग के शोषण के आरोपी पिता-पुत्र को ओडिशा से गिरफ्तार कर लाई लैलूंगा पुलिस

» परवरिश के नाम पर लैलूंगा से ले गई बालिका की जबरन कराये थे शादी, गंभीर धाराओं में आरोपी जेल दाखिल

लैलूंगा। लैलूंगा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र की बालिका को परवरिश व घरेलू काम कराने के नाम पर सुन्दरगढ़ ओडिशा ले जाकर उसकी जबरजस्ती युवक के साथ शादी कराने वाले आरोपी पिता-पत्र को ओडिशा से पकड़ कर लाया गया, जिन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

जानकारी के अनुसार बालिका की मां दिनांक 15.05.2021 को थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कर बताई कि रोजी मजदूरी का काम कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। करीब चार माह पहले सुन्दरगढ़, ओडिशा में रहने वाला ईश्वर महाकुल इसकी बेटी (15 साल) को अपने साथ ले जाकर अच्छे से रखूंगा, घर का काम करेगी कहकर साथ ले गया। महिला अपने परिवारवालों से सलाह लेकर जान परिचित होने के कारण उसके साथ बेटी भेज दी। करीब 02 माह बाद अपने रिस्तेदार के साथ अपने बेटी को देखने सुंदरगढ़ ओडिशा गई तो ईश्वर महाकुल के घर में उससे बहुत ज्यादा घरेलू काम कराया जा रहा था, यही नही बालिका की शादी ईश्वर महाकुल अपने बेटे गणेश बारीक के साथ जबरजस्ती करा दिया। बालिका के परिवारवालों इसकी जानकारी भी नहीं दिये । महिला अपनी बेटी को अपने साथ लेकर लैलूंगा जाऊंगी बोली तो उसे झगड़ा कर भगा दिये। महिला बेटी का शोषण किये जाने के संबंध में थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपी पिता-पुत्र के विरूद्ध अप.क्र. 132/2021 धारा 370,370(ए) भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

अपराध दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी लैलूंगा एलपी पटेल, सहायक उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे, महिला आरक्षक शशिकला, आरक्षक राजू तिग्गा, अमरदीप एक्का सुन्दरगढ़ ओडिसा जाकर आरोपी ईश्वर बारीक पिता चक्रधर बारीक उम्र 50 वर्ष उसके पुत्र गणेश बारीक उम्र 21 साल दोनों निवासी ग्राम कुराई महकुलपारा थाना तलसरा जिला सुन्दरगढ़ ओडिशा को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 9, 10 बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम, 4, 8 पास्को एक्ट जोड़ी गई है। आरोपियों को दिनांक 17.05.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है।

पौने दो करोड़ में खरीदे गए हैं 10 वेन्टीलेटर्स

» आरटीपीसीआर लैब की क्षमता बढ़ाने 18 लाख की सेंट्रीफ्यूज मशीनें की जा रही इंस्टाल

रायगढ़ । कोरोना संक्रमण से निपटने जिले में लगातार संसाधन जुटाए जा रहे है तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार जिले के डीएमएफ मद का उपयोग इस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ 74 लाख की लागत से 10 वेंटीलेटर खरीदे जा रहे हैं। इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कलेक्टर भीम सिंह ने जारी कर दी है। जिसमें से 05 वेन्टीलेटर्स मिल चुके हैं तथा 05 अगले दो-तीन दिन में मिल जाएंगे। ये वेन्टीलेटर्स मेडिकल कॉलेज और एमसीएच में दिए जाएंगे। इसके आने से गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु सुविधाएं बढ़ जाएंगी।

❒ **48 घंटे के भीतर मिले जांच रिपोर्ट इसका हो रहा इंतेज़ाम-** कोविड संक्रमण की जांच की रफ्तार बढ़ाने आरटीपीसीआर वायरोलॉजी लैब की क्षमता भी बढ़ायी जा रही है। जिससे तय समय के भीतर अधिक सैम्पलों की जांच की जा सके। इसके लिए 18 लाख अस्सी हजार की लागत से दो सेंट्रीफ्यूज मशीनें क्रय की जा रही है। इसमें से एक मशीन लैब पहुँच चुकी हैं। इसका इंस्टालेशन अगले दो-तीन दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इससे अब आरटीपीसीआर सैंपल जांच को और तेजी मिलेगी और 48 घंटे के भीतर ज्यादा से ज्यादा सैंपल के रिपोर्ट दिए जा सकेंगे।

16 मई को प्रदेश में 18 प्लस वालों के टीकाकरण का हर चौथा टीका लगा रायगढ़ जिलावासी को

» 18 प्लस टीकाकरण में रायगढ़ जिला प्रदेश में सबसे आगे

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन में कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में 18 से 44 वर्ष आयु के टीकाकरण में रायगढ़ पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर है। 16 मई के टीकाकरण के आंकड़े के अनुसार इस दिन प्रदेश में लगा हर चौथा टीका रायगढ़ जिले के निवासी को लगाया गया। 16 मई को रायगढ़ में 14 हजार 458 लोगों का टीकाकरण हुआ है। वहीं इस दिन पूरे प्रदेश में 56 हजार 589 लोगों को टीका लगाया गया। इस लिहाज से पूरे राज्य का लगभग 25 प्रतिशत टीका रायगढ़ वासियों को लगाया गया। कलेक्टर भीम सिंह के मार्गदर्शन के साथ टीकाकरण के नोडल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.रवि मित्तल के प्रयासों से यह संभव हुआ है। टीकाकरण के लिए किए गए बेहतर सेशन साइट्स की प्लानिंग, लोगों का मोबलाईजेशन और टीकाकरण के लिए नागरिकों का उत्साह और जागरूकता से रायगढ़ पूरे प्रदेश में 18 प्लस वालों के टीकाकरण में शीर्ष स्थान हासिल करने में कामयाब हुआ है।

किसको लगे कितने टीके- रायगढ़ में अंत्योदय श्रेणी में 1266 बीपीएल में 7106 तथा एपीएल 4865 एवं फ्रन्ट लाईन वर्कर 1221 लोग शामिल है। इसी तरह रायगढ़ शहरी में 2385, पुसौर में 1746, घरघोड़ा में 1047, खरसिया में 1408, लोईंग में 1295, बरमकेला में 1385, तमनार में 1365, सारंगढ़ में 1342, धरमजयगढ़ में 1337, लैलूंगा में 1148 लोगों को टीका लगाया गया।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस आयोजित : डेंगू के लक्षण व उसके बचाव के संबंध में दी गई जानकारी

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह के दिशा-निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केसरी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी गत दिवस 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस का आयोजन सीएमएचओ कार्यालय के आरोग्यम् सभा कक्ष में किया गया।

सीएमएचओ डॉ.केसरी ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर कहा कि डेंगू बीमारी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू के लक्षण-अचानक तेज सिर दर्द व तेज बुखार, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होना, आँखों के पीछे में दर्द होना, जी मिचलाना एवं उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक व मुंह से खुन आना त्वचा पर चकत्ते उभरना आदि है।

जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. टी.जी. कुलवेदी, के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए तथा कोरोना गाईडलाईन का पालन करते हुए सामुदायिक एवं भौतिक गतिविधि किया जाना संभव नहीं है, अतः राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केवल सोशल मिडिया मोबाईल/ व्हॉट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक के तथा पाम्प्लेट पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं जागरूक किया जा रहा है।

बचाव के उपाय-डेंगू मच्छर से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के आसपास साफ-सफाई रखनी चाहिए, नालियों में जला हुआ मोबिल, मिट्टी तेल का छिड़काव करनी चाहिए। हमेशा फूलआस्तीन के वस्त्र पहनना चाहिए, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, कुलर में स्थिर पडे हुए पानी का निष्कासन, टायर, नारियल खोल इत्यादि में ठहरे हुए पानी को खाली करना चाहिए। कोरोना वायरस रोग के दौरान डेंगू को नजर अंदाज न करें एवं रायगढ़ जिला को डेंगू मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वैश्विक महामारी कोरोना काल में भी डेंगू नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। जो कि इस वर्ष चैलेंज का अवसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत वर्षो के आकड़ो को मध्यनजर रखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में डेंगू प्रकरणों में वृहद कमी देखने को मिली है।

इस अवसर पर सभागृह में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केसरी, डी.एच.ओ. डॉ.एस.टोप्पो, डॉ.के.डी.पासवान, डॉ.टी.जी.कुलवेदी जिला मलेरिया अधिकारी, डी.पी.एम.डॉ.योगेश पटेल, सी.पी.एम. डॉ. राकेश वर्मा, श्रीमती उमा महंत जिला मिडिया अधिकारी, निर्मल प्रसाद, गौतम प्रसाद सिदार व्ही.बी.डी. टेक्नीकल सुपरवाईजर, श्रीमती प्रीती शर्मा सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, श्रीमती सुषमा ग्लोरिया एक्का, श्रीमती जया मजूमदार एवं अन्य अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480